# 

#### <u>दीवानी प्रकरण क्रमांक 27-ए/2016</u> <u>संस्थित दिनांक- 23.09.2016</u>

 गिरधारी पिता कन्हाई जाति कुर्मी, उम्र— 55 वर्ष,धंधा कृशि,निवासी बडसलाय, तहसील ठीकरी,जिला— बड़वानी (म.प्र.)

बाबुलाल पिता कन्हाई जाति कुर्मी,
 उम्र— 53 वर्ष, धंधा कृशि एवं वकालात,
 निवासी बडसालय,तहसील ठीकरी,जिला— बड़वानी (म.प्र.)

<u> –वादीगण</u>

### वि रू द्व

- श्रीमती ग्यारसीबाई पिता रामचरण जाति कुर्मी, उम्र— 45 वर्ष, निवासी 132 सुभाश वार्ड खिडिकया, तहसील खिरिकया जिला— होशंगाबाद (म.प्र.)
- 2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, बडवानी जिला—बडवानी (म.प्र.)
- 3. तहसीलदार ठीकरी, तहसील– ठीकरी,जिला– बड़वानी (म.प्र.)
- अनुविभागीय अधिकारी, राजपुर तहसील राजपुर,जिला— बड़वानी (म.प्र.)
- नत्थु पिता कालु जाति कुम्हार, उम्र 50 वर्श,
  निवासी ग्राम बङसलाय तह0ठीकरी, जिला— बड़वानी (म.प्र.)
- नारायण पिता भलजी जाति भीलाला, उम्र 45 वर्श,
  निवासी ग्राम बडसलाय तह0 ठीकरी, जिला— बड़वानी (म.प्र.)
- श्रीमती सरिताबाई पिता लक्ष्मीनारायण,
  निवासी 106 गायत्री नगर केशर बाग चौक पास इंदौर,
  जिला— इंदौर (म.प्र.)

-प्रतिवादीगण

वदीगण	– स्वंय उपस्थित
प्रतिवादीगण	– श्री शक्तिपालसिंह तोमर

## -: <u>निर्णय</u>:-

### (आज दिनांक 09/12/2017 को घोषित)

- 01- वादीगण ने यह वाद ग्राम बडसलाय पटवारी हल्का नं0 15 तहसील ठीकरी जिला बडवानी म0प्र0 में स्थित खाता कं0 419 कुल सर्वे नं0 3 रकबा 5.35 एकड (जिस आगे वादग्रस्त भूमि का जायेगा) को स्वंय के स्वत्व और आधिपत्य की होना बता कर उक्त भूमि में वादी के साथ प्रतिवादी कं0 1 का नाम भूमि स्वामी के रूप में प्रतिवादी कं0 4 के द्वारा दर्ज करने के संबंध में राजस्व प्रकरण कं0 27—33—6/2014—15 में पारित आदेश दि0 30.07.2016 को निरस्त करने के लिये प्रस्तुत किया हैं।
- 02. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं रामचरण के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है जो पूर्व में उनके पिता कन्हाई के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी,तथा रामचरण वादीगण का भाई हैं। रामचरण ने अपने जीवन काल में ही उसके हिस्से की जमीने नत्थु पिता कालु एवं नारायण पिता भलजी को विक्रय कर दी थी तब रामचरण की पुत्री प्रतिवादी कं0 1 ने वादीगण के पक्ष में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपना स्वत्व छोड दिया था। इसके बाद वादग्रस्त भूमि पर वादगण का नामातंरण हो चुका है लेकिन अनुविभागीय अधिकारी राजपुर ने राजस्व प्रकरण कं0 27—अ—6/2014—15 में पारित आदेश दि0 30. 07.2016 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के साथ प्रतिवादी कं0 1 का नाम दर्ज करने का आदेश दिया था इस कारण वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया हैं। वाद चलने के दौरान प्रतिवादी कं0 1 ने वादग्रस्त भूमि का कुछ भाग प्रतिवादी कं0 7 का विक्रय कर दिया था इस कारण उसे भी प्रकरण में पक्षकार बनाया गया हैं।
- 3. वादीगण तथा प्रतिवादी कं० 1 तथा 7 ने प्रकरण चलने के दौरान आदेश 23 नियम 3 सी०पी०सी० के तहत आवेदन पेश कर आपसी राजीनामा होना प्रगट किया है जिसके आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी कं० 1 तथा 7 का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया हैं। उभय पक्षों ने आपसी राजीनामा स्वेच्छया पूर्वक होना स्वीकार किया हपक्षकारगण राजीनामा करने में सक्षम है उनके मध्य कोई दुरभिसंधि नहीं हैं। अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार कर निम्नानुसार डिकी पारित की जाती है:—

प्रतिवादी कं0 1 द्वारा प्रतिवादी कं0 7 के पक्ष में ग्राम बडसलाय में स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे नं0 219/1 /1/2, 219/1/4, 221,247/1/2, 247/2/2 रकबा 2.225 हेक्ट0 में से सर्वे नं0 221पैकी 0.864 हेक्ट0 की भूमि जिसकी चतुर्थ सीमा पूर्व में सर्वे नं0 221 की शेश भूमि, पश्चिम में गुलाब पिता झापडिया की भूमि,उत्तर में शासकीय पहाडी तथा दक्षिण में नाले के पास नारायण प्रसाद की भूमि का दि0 13.10.2016 को उप पंजीयक राजपुर के समक्ष निश्पादित आनलाईन विक्रय पत्र कं0mp288 –72016A1574386 को वादीगण स्वीकार करते हैं।

ब. शेश सर्वे नं0 191/2, 253/3 रकबा 2.53 हेक्ट0, सर्वे नं0 219/1/2, 219/1/4, 221,247/1/2, 247/2/2 पर रकबा 2.225 हेक्ट0 पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य होना प्रतिवादी कं0 1 व 7 ने स्वीकार किया हैं।

स. प्रतिवादी कुं० ७ द्वारा तहसील न्यायालय ठीकरी के समक्ष नामातरंण एवं

#### //03//<u>दीवानी प्रकरण क्रमांक 27-ए/2016</u>

बटवारे का प्रकरण प्रस्तुत करने पर वादीगण एवं प्रतिवादी कं0 1 उसमें सहमति के कथन दर्ज करायेगे।

द. उभय पक्षों के मध्य थाना ठीकरी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में दिये गये आवेदन को समाप्त माना जायेगा और उभय पक्ष उक्त संबंध में थाना ठीकरी के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध में कब्जे का विवाद नहीं करेगे।

इ. राजीनामें के आधार पर प्रतिवादी कं० 1 उसके द्वारा प्रतिवादी कं० 7 को विकय की गयी भूमि के अलावा शेश भूमि पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य स्वीकार करती हैं।

एफ. वादीगण भी प्रतिवादी कं0 1 व 7 के विरूद्ध किसी सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय में कोई दावा या आवेदन पेश नहीं करेंगे।

जी. राजीनामा आवेदन डिक्री का भाग होगा।

4. उभय पक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार जोड़ा जाये।

उक्त अनुसार डिकी बनायी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / – (श्रीमती वंदना राज पाण्डे्य) राश्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ अंजड़, जिला बड़वानी म0प्र0 सही / – (श्रीमती वंदना राज पाण्डे्य) राश्ट्रीय लोक अदालत खंडपीठ अंजड़, जिला बड़वानी म0प्र0